अति महत्वपूर्ण/आवश्यक

निदशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 16 म०90-20 /बा०वि०परि०/एम०पी०आर०/2016–17 दिनांक :09 जनवरी, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय : **0–5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का अर्ध०शा०प०सं०– ME-15/9/2015-ME दिनांक 26 दिसम्बर 2016, जो मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 को सम्बोधित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में 0–5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन मात्र 30.90 प्रतिशत है, जो अपेक्षित प्रगति से बहुत कम है।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय पत्र संख्या–सी0–1061/बा0वि0परि0/आधार कार्ड/ 2016–17 दिनांक 03 अगस्त 2016 तथा पत्रसंख्या–सी0–1395/बा0वि0परि0/एम0 आई0एस0 /2016–17 दिनांक 08 सितम्बर 2016 द्वारा पूर्व में ही आपको निर्देशित किया गया है कि आधार कार्ड बनाने वाली एजेन्सी से सम्पर्क कर ऑगनबाडी केन्द्रवार एक माइक्रोप्लान तैयार करते हुये विशेष कैम्प लगाकर 0–5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, परन्तु अभी तक की प्रगति से यह स्पष्ट है कि आप द्वारा दिये गये निर्देशों का अपेक्षित अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो खेद का विषय है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आधार कार्ड बनाने वाली एजेन्सी से सम्पर्क कर केन्द्रवार माइक्रोप्लान तैयार करते हुये 0–5 वर्ष तक के बच्चों का शत्प्रतिशत् आधार नामांकन हेतु विशेष कैम्प लगाते हुए इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें तथा माह दिसम्बर 2016 तक की प्रगति निम्न प्रारुप पर 15 जनवरी 2016 तक हार्ड कापी एवं ई–मेल icdsup@yahoo.com द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ प्रत्येक माह की 05 तारिख तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय भेजना सुनिश्चित करें।

कमांक	परियोजना का नाम	गत माह तक 0–5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन की संख्या	वर्तमान माह की प्रगति	कमिक योग
01	02	03	04	05

अतः यदि आधार नामांकन कराने में कोई समस्या आती है, तो आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री राजीव श्रीवास्तव (मो0न0–8005494256) व सुश्री सौम्या श्रीवास्तव, सिस्टम एनालिस्ट (मो0न0–9919100917) एवं ई–मेल saumya.srivastava@uidai.net.in पर सम्पर्क कर अपनी समस्या के सम्बन्ध में अवगत करायें, ताकि 0–5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन शतप्रतिशत हो सकें। प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है। अतएव इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या/ /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक